

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./42/ए/2008/94
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01.09.08

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला

मध्यप्रदेश

विषय:—अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई उपरांत कमीपूर्ति के संबंध में

—0—

अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन, सकूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के निम्न तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम-4 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कमियां पाई गई हैं। ऐसे आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	आवेदक का नाम, पद एवं कार्यरत संस्था	जिला	विभिन्न माध्यम से प्राप्त आवेदनों में परीक्षण उपरांत पाई ई कमियों का विवरण
1	2	3	4
1	श्री पीयूष पटेल वरिष्ठ अध्यापक		अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
2	श्री रितेष टण्डन वरिष्ठ अध्यापक		अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
3	श्री जितेन्द्रसिंह तोमर सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. आवली जिला धार	धार	संयुक्त अनापत्ति नहीं है।
4	श्री जयसिंह तोमर सहायक अध्यापक शा.बा.आश्रम कुण्डारा जिला धार	धार	संयुक्त अनापत्ति नहीं है।
5	श्रीमती रश्मि यादव सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.वि. नालछा जिला धार	धार	अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की संयुक्त अनापत्ति नहीं है।

6	श्रीमती सुशीला सोलंकी सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. भीलदूधी जिला धार	धार	अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की संयुक्त अनापत्ति नहीं है।
7	श्रीमती रेखा मांझी सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. पालपुर जिला श्योपुर	श्योपुर	कार्यरत निकाय की अनापत्ति नहीं है/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
8	श्री शीतल कुमार शर्मा सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. हनुमत्या जिला खरगोन	खरगोन	अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
9	श्री मदन मोहन शर्मा अध्यापक शा.मा.वि. भोपालपुरा जिला खरगोन	खरगोन	प्रकरण पुरुष संविलियन का है।
10	हेमंत सिंह पंवार सहायक अध्यापक जिला इंदौर	इंदौर	अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
11	श्री अंतरसिंह चौहान सहायक अध्यापक शा.उन्नत मा.वि. सिन्दोड़ी जिला इंदौर	इंदौर	अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की संयुक्त अनापत्ति नहीं है।
12	श्री उदय सिंह अलावा सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. किशनपुरा जिला इंदौर	इंदौर	अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की संयुक्त अनापत्ति नहीं है।
13	श्री जिन्द्रसिंह चौहान सहायक अध्यापक शा.मा.वि. किठोदा जिला इंदौर	इंदौर	प्रकरण पुरुष संविलियन का है।
14	श्री संतोष बघेल अध्यापक शा.प्रा.वि. भोलाखेड़ी खुर्द जिला मंदसौर	मंदसौर	संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है।
15	श्री कैलाश परमार सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. पाडलिया जिला मंदसौर	मंदसौर	प्रकरण पुरुष संविलियन का है।
16	श्री दिनेश चंद्र पाटीदार अध्यापक शा.मा.वि. चचवदा पठारी जिला मंदसौर	मंदसौर	प्रकरण पुरुष संविलियन का है।
17	श्री रघुलाल सोलंकी सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. तरसमा जिला मुरैना	मुरैना	संयुक्त अनापत्ति नहीं है।

18	श्री कैलाशसिंह सोलंकी सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. गोरेलालकापुरा जिला मुरैना	मुरैना	संयुक्त अनापत्ति नहीं है।
19	श्रीमती रामदेवी सखनलाल गुप्ता सहायक अध्यापक जिला मुरैना	मुरैना	अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
20	श्रीमती मधु दनेलिया अध्यापक शा.मा.वि. मामचोन जिला मुरैना	मुरैना	संविलियन निकाय की अनापत्ति नहीं है।
21	श्रीमती केशाबाई सखवार सहायक अध्यापक शा.न.प्रा.वि. पंडित का पूरा जिला मुरैना	मुरैना	दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
22	श्रीमती उषा यादव सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. उरहेरा जिला मुरैना	मुरैना	अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
23	श्री परमानंद रामधिया अध्यापक शा.मा.वि. ज्ञानपुरा जिला भिण्ड	भिण्ड	प्रकरण पुरुष का संविलियन का है।
24	श्रीमती शशिपुरी गोस्वामी सहायक अध्यापक शा.मा.वि. कोटा जिला शिवपुरी	शिवपुरी	संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है।
25	श्री हीरालाल भंवर सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. रगरू जिला विदिशा	विदिशा	प्रकरण पुरुष संविलियन का है।
26	श्रीमती सुनिता मेहता सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. गढ़ाबडिया जिला रतलाम	रतलाम	संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है।
27	श्री मनीष कुमार गेहलोट सहायक अध्यापक शा.राजीव गांधी हाईस्कूल रणायरा जिला रतलाम	रतलाम	दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
28	श्री तुलसीराम डावर सहायक अध्यापक शा.हाईस्कूल मावता जिला रतलाम	रतलाम	दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
29	श्रीमती निर्मला कताला सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. डेलवास जिला रतलाम	रतलाम	संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
30	श्रीमती अर्चना धुर्वे अध्यापक शा.पू.मा.वि. पिपरिया जिला शहडोल	शहडोल	संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है।

31	श्रीमती सरिता बार्गल शा.मा.वि. सिमरोल जिला शाजापुर	शाजापुर	प्रकरण निकायंतर्गत है। दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
32	श्री हिमलेश दीक्षित अध्यापक शा.मा.वि. अलीसखेड़ा जिला शाजापुर	शाजापुर	अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
33	श्री ज्ञानप्रकाश दीक्षित अध्यापक शा.मा.वि. अलीसखेड़ा जिला शाजापुर	शाजापुर	संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है।
34	श्रीमती शोभा राजा बुंदेला अध्यापक शा.मा.शा. मृगावली जिला सागर	सागर	संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है।
35	श्रीमती जीनत कुरेशी अध्यापक शा.मा.वि. वस्तूरी जिला दतिया	दतिया	संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है।
36	श्री अनूप त्रिपाठी सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. विशेषपुरा जिला दतिया	दतिया	संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
37	श्री सुरेन्द्र कुमार अहिरवार अध्यापक कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी दतिया जिला दतिया	दतिया	अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
38	श्रीमती नीतू जाटव अध्यापक शा.हाईस्कूल गर्सीली जिला छतरपुर	छतरपुर	दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
39	श्रीमती आशा बी खान सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.वि. डबलचौकी जिला देवास	देवास	अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
40	श्रीमती ममता पाटीदार सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.वि. करनावद जिला देवास	देवास	संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है।
41	श्रीमती निर्मला पंवार वरिष्ठ अध्यापक शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सोनकच्छ जिला देवास	देवास	प्रकरण निकायंतर्गत है/संविलियन निकाय की अनापत्ति नहीं है।
42	श्री खलील एहमद खान अध्यापक उर्दू शा.क.मा.वि. गंधर्वपुरी जिला देवास	देवास	प्रकरण पुरुष संविलियन का है/दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
43	श्री सतीन्द्र सिंह खनूजा सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.वि. आमला जिला देवास	देवास	विकलांग प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि नहीं है।
44	श्री मूलचंद राठौर	देवास	दोनों निकाय की अनापत्ति

	अध्यापक कार्या. वि.खं. शिक्षा खातेगांव जिला देवास		नहीं है।
45	श्री रामसिंह गरवाल सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. धनगांव जिला नीमच	नीमच	प्रकरण पुरुष संविलियन का है।
46	श्रीमती कांति तंतुवारा सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. पलोहा छोटा जिला नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
47	श्रीमती चन्द्रकुमारी तिवारी सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. सेंमरखेड़ी जिला अशोकनगर	अशोकनगर	अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
48	श्रीमती इशरत शाहीन सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. गणेश मंदिर चंदेरी जिला अशोकनगर	अशोकनगर	अपूर्ण आवेदन/दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
49	श्री आनंद कुमार पाण्डे सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. हाटकापुरा जिला अशोकनगर	अशोकनगर	विकलांग प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि नहीं है।
50	श्री लीलाधर सिंह तोमर सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. दौलतखेड़ी जिला अशोकनगर	अशोकनगर	प्रकरण पुरुष संविलियन का है।
51	श्री रामबाबू जाटव अध्यापक शा.मा.वि. सुरेल जिला अशोकनगर	अशोकनगर	दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
52	श्रीमती गंगा रघुवंशी अध्यापक शा.मा.वि. बनेह जिला गुना	गुना	संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है।
53	श्री सुरेन्द्र सिंह हिण्डोलिया अध्यापक शा.बा.उ.मा.वि. कुमराज जिला गुना	गुना	विकलांग प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि नहीं है।
54	श्री बृजेन्द्रसिंह रघुवंशी वरिष्ठ अध्यापक शा.उ.मा.वि. मधुसूदनगढ़ जिला गुना	गुना	प्रकरण पुरुष संविलियन का है/दोनों निकाय की अनापत्ति नहीं है।
55	श्रीमती शर्मिला भार्गव अध्यापक शा.मा.वि. सुनगयाई जिला गुना	गुना	संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है।

अतः उक्त तालिका में अंकित आवेदक के द्वारा तालिका के कॉलम-4 के अनुसार वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं तो उनके द्वारा चाहे गये अंतर्जिला संविलियन की अनुमति पर विचार किया जा सकता है। तालिका में दर्शित जिन आवेदकों का संचालनालय द्वारा पूर्व में आदेश जारी हो चुका है उनके द्वारा कमी पूर्ति हेतु पुनः आवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

उक्तानुसार कार्रवाई समयसीमा में एक सप्ताह में सुनिश्चित कराएं।

हस्ता.

कृते : संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/संवि./2008/42/ए/95
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 01.09.08

1. निज सचिव मा.मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्त तालिका अनुसार आपके जिले से संबंधित आवेदकों को तालिका के कॉलम-4 की स्थिति से अवगत कराएं।
4. संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

हस्ता.

कृते : संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश